भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 611

उत्तर देने की तारीख 06.02.2025

पीएमईजीपी का कार्यान्वयन

611. **श्री सौमित्र खानः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और पिछले पांच वर्षों के दौरान रिकॉर्ड किए गए लाभार्थियों की जिलेवार कुल संख्या क्या है;

(ख) पश्चिम बंगाल में युवाओं और महिलाओं को स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए योजना को कारगर बनाने हेतु कौन से सुधार कार्य शुरु किए गए हैं; और

(ग) पश्चिम बंगाल में पिछले वित्त वर्ष के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत आबंटित और उपयोग की गई कुल निधि कितनी है ?

<u>उत्तर</u>

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) विगत 5 वर्षों अर्थात वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक सहायता प्राप्त सूक्ष्म इकाइयों की संख्या, वितरित मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी और अनुमानित रोजगार सृजन के संदर्भ में पश्चिम बंगाल में पीएमईजीपी का जिला-वार कार्य-निष्पादन **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) पश्चिम बंगाल सहित देश भर में युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने में स्कीम की कारगरता में सुधार के लिए शुरू किए गए उपाय नीचे दिए गए हैं:

i. नई परियोजना की स्थापना के लिए स्वीकार्य अधिकतम परियोजना लागत को विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।

ii. सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए परियोजना लागत के 15% और 25% की तुलना में महिलाओं सहित विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत के क्रमशः 25% और 35% की उच्च सब्सिडी प्रदान की जाती है।

iii. सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 10% की तुलना में महिलाओं सहित विशेष श्रेणी के लाभार्थियों का अंशदान 05% है।

iv. विशेष श्रेणी पर ध्यान केन्द्रित करते हुए पिछड़े और अल्प निष्पादन वाले क्षेत्रों सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं और प्रदर्शनियां आयोजित करना।

v. भावी उद्यमियों के लिए दो दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) का आयोजन।

vi. जनवरी 2024 से 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भावी लाभार्थियों से पीएमईजीपी आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।

vii. इस स्कीम के अंतर्गत पशुपालन से संबंधित उद्योगों जैसे डेयरी, कुक्कुट पालन, जलीय कृषि, कीट पालन (मधुमक्खी, रेशम उत्पादन आदि) को अनुमति दी गई है।

viii. युवाओं और भावी उद्यमियों के बीच जागरूकता सृजित करने के लिए प्रत्येक रविवार को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए वेबिनार आयोजित किए जाते हैं।

(ग) पीएमईजीपी एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, इसलिए बजट का कोई राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है। निधियों का उपयोग सृजित मांग और वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत ऋणों के आधार पर किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य के लिए इस स्कीम के अंतर्गत संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी 74.23 करोड़ रुपये है।

*****

दिनांक 06.02.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 611 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I:

विगत 5 वर्षों के दौरान सहायता प्राप्त सूक्ष्म इकाइयों की संख्या, संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी और अनुमानित रोजगार सृजन के संदर्भ में पश्चिम बंगाल में पीएमईजीपी का जिला-वार कार्य-निष्पादन निम्नानुसार है:

जिला	2019-20			2020-21			2021-22			2022-23			2023-24		
	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (करोड़ रु. में)	सृजित अनुमानित रोजगार	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (करोड़ रु. में)	सृजित अनुमानित रोजगार	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (करोड़ रु. में)	सृजित अनुमानित रोजगार	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (करोड़ रु. में)	सृजित अनुमानित रोजगार	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (करोड़ रु. में)	सृजित अनुमानित रोजगार
अलीपुरद्वार	47	1.13	376	125	3.61	1,000	68	1.98	544	82	3.63	656	70	2.83	560
बांकुरा	64	1.53	512	38	0.92	304	45	1.02	360	38	1.38	304	41	1.93	328
बर्धवान	75	1.70	600	52	1.37	416	68	1.44	544	46	1.47	368	57	2.32	456
वीरभूम	80	1.84	640	82	2.01	656	92	2.57	736	76	2.13	608	114	3.42	912
कूचबिहार	80	1.75	640	98	2.78	784	60	1.49	480	114	3.16	912	118	3.85	944
दार्जिलिंग	71	1.68	568	80	2.18	640	69	1.96	552	50	1.33	400	37	1.41	296
हुगली	41	0.95	328	41	1.07	328	56	1.67	448	69	1.76	552	49	1.94	392
हावड़ा	80	2.40	640	37	1.01	296	70	1.74	560	115	2.75	920	83	2.40	664
जलपाईगुड़ी	17	0.46	136	38	0.87	304	131	4.12	1,048	67	2.57	536	49	2.12	392
झारग्राम		0.00	0	7	0.32	56	9	0.40	72	22	0.54	176	13	0.39	104
कलिम्पोंग	9	0.16	72	5	0.12	40	12	0.35	96	22	0.48	176	21	0.56	168
कोलकाता	13	0.34	104	12	0.17	96	13	0.15	104	15	0.16	120	9	0.43	72
मालदा	41	0.77	328	58	1.77	464	51	1.46	408	58	2.05	464	43	2.09	344
मेदिनीपुर पूर्व	576	24.25	4,608	555	23.78	4,440	653	32.17	5,224	462	20.05	3,696	454	20.86	3,632
मुर्शिदाबाद	185	6.94	1,480	211	7.00	1,688	204	6.75	1,632	233	7.47	1,864	208	6.79	1,664
नादिया	219	15.05	1,752	80	4.96	640	63	2.71	504	58	2.79	464	62	2.58	496
उत्तर दिनाजपुर	4	0.09	32	14	0.28	112	64	2.06	512	28	0.92	224	6	0.25	48
उत्तर चौबीस परगना	227	8.55	1,816	215	7.86	1,720	232	8.68	1,856	244	8.73	1,952	186	7.36	1,488
पश्चिम बर्दवान	11	0.29	88	5	0.16	40	10	0.38	80	8	0.43	64	7	0.62	56
पश्चिम मेदिनीपुर	78	2.06	624	90	3.12	720	68	2.27	544	52	1.67	416	66	2.12	528
पुरुलिया	43	1.99	344	36	1.43	288	30	0.91	240	30	0.95	240	55	1.56	440
दक्षिण दिनाजपुर	51	1.78	408	56	2.49	448	62	2.90	496	33	1.12	264	23	0.65	184
दक्षिण चौबीस परगना	208	9.10	1,664	135	4.96	1,080	175	6.23	1,400	204	6.55	1,632	148	5.76	1,184